बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार

दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा

बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करते हुए

ग्रामीण विकास विभाग के वार्ड सदस्य सरपंच और जिला पंचायती राज अधिकारी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह और दहेज को संबोधित करते हुए

ग्रामीण विकास विभाग के वार्ड सदस्यय सरपंच और जिला पंचायती राज अधिकारी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

सन्दर्भ-

इस श्रोत पुस्तिका को बिहार राज्य ग्रामीण विकास विभाग के लिए तैयार किया गया है, ताकि विभाग से जुड़े हुए लोग राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से इसका उपयोग कर सके। यह पुस्तिका वार्ड सदस्य सरपंच और जिला पंचायती राज अधिकारी जैसे सम्बंधित हितधारकों को उनकी अपनी भूमिका में बाल विवाह और दहेज प्रथा के मूल कारणों को संबोधित करने में मदद करेगी, जैसे कि पंचायती राज संस्थान के सदस्य के रूप में, जिनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यहाँ दी गई है।

समुदाय का प्रत्येक सदस्य – बच्चे, बड़े, पुरुष, स्त्री, नेता हर कोई बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने में मदद कर सकता है। इसके लिए हमें उन तक पहुँचकर उनको बाल विवाह और दहेज के नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने और इस बुराई का प्रतिरोध करने के लिए समझाने और प्रेरित करने की जरूरत है। पंचायती राज संस्थान के सदस्यों के पास अपने पद और प्रतिष्ठता के चलते इस बात के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है कि वे समुदाय के सभी हिस्सों में जाकर बाल विवाह और दहेज प्रथा के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करें तथा राज्य में लागू सम्बंधित कानूनों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं।

समुदाय में बाल विवाह और दहेज को संबोधित करने में वार्ड मेम्बर, सरपंच एवं जिलापंचायती राज अधिकारी की भूमिका-

बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने से सम्बंधित हितधारकों में पंचायत के निर्वाचित हुए प्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण समूह होते है। वे संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करने, उसे आगे बढ़ाने तथा साथ ही इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए बनाए गए कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। उनकी पहुँच उनके निर्वाचन क्षेत्र की लगभग पूरी आबादी में फैली होती है, और वे अपने पद और कानूनी अधिकार का उपयोग शादी के नये आदर्श/प्रतिमान को स्थापित करने और दहेज प्रथा को रोकने हेतु समुदायों को प्रेरित करने और समझाने के लिए कर सकते हैं। बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए पंचायत के नेताओं द्वारा पालन की जाने वाली कुछ मानक संचालन प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं।

पंचायती राज्य सदस्यों के लिए बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

वार्ड सदस्य, सरपंच और जिला पंचायती राज अधिकारी के बतौर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ स्थानीय परिस्थिति को समझते हुए कार्रवाई शुरू करना जरुरी होता है। बाल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्प्रभाओं पर समुदाय में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उपलब्ध प्रत्येक अवसर का उपयोग करें और इसके लिए आप निम्न कदम उठा सकते है।

जागरुकता फैलाना / निवारक पक्ष

1. यह सुनिश्चित करें कि आपके परिवार में किसी भी लड़के या लड़की की शादी उसकी कानूनी उम्र पूरी होने से पहले न हो एवं दहेज का लेन–देन न हो।
2. गांव में किसी भी बाल विवाह सामारोह में शामिल न हों।
3. अपने पंचायत बैठकों और ग्राम सभा में बाल विवाह और दहेज प्रथा के मुद्दे चर्चा करें और अपने ग्राम पंचायत में बाल विवाह एवं दहेज पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पास करवाएं।

4. बाल विवाहों और दहेज लेने और देने के दुष्परिणामों पर लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करें और ऐसा न करने के लिए उन्हें सलाह दें। समुदाय के सदस्यों को बाल विवाह एवं दहेज के विरुद्ध प्रतिज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

5. समुदाय में बच्चों के लिए बाल विवाह और दहेज प्रथा के निहितार्थ/परिणाम पर चर्चा आयोजित करें, जैसे कि उन्हें बाल विवाह के कारण होने वाले कम उम्र में प्रसव, खराब मातृ स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु, खराब शिशु स्वास्थ्य और उनकी मृत्यु, एचआईवी संक्रमण का उच्च खतरा, निम्न स्तर की शिक्षा, खराब आर्थिक स्थिति और आजीविका के खराब अवसर, घरेलू हिंसा की काफी और घर में निर्णय लेने की कम शक्ति के बारे में शिक्षित करें।

6. समुदाय में बाल विवाह उत्सव के आयोजन के सम्बन्ध में और दहेज प्रथा के कानूनी नियम और परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता सत्रों का आयोजन करें।

7. समुदाय में सूचित कर दें कि बाल विवाह निषेध कानून, 2006 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रकार के उल्लंघन होने पर उल्लंघन करने वालों के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे।

8. पंचायत के सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे– ग्राम सभा, त्यौहारों के उत्सव और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने वाले व्यक्तियों और परिवारों की सार्वजनिक तौर पर सराहना और उनका अभिनन्दन करें।

9. बाल विवाह के परिणामों पर जागरूकता फैलाने और इसके बारे में लोगों को शिक्षित करने में बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPO) और अन्य सरकारी अधिकारियों के प्रयासों में सहायता प्रदान करें। साथ ही दहेज के लेन–देन को रोकने के लिए सरकारी अधिकारीयों के प्रयासों में सहायता प्रदान करें।

10. ग्राम सभा में, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों में, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों व अन्य खुशी के मौकों पर बाल विवाह और दहेज प्रथा की चर्चा मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में करें।

11. जब लोग विवाह में देरी करने से, और दहेज प्रथा को रोकने के कुछ फायदा व उन्नति देखेंगे तो वे बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध करने के लिए प्रेरित और आश्वस्त होंगे।

12. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनके शिक्षा के महत्व पर बात करें, और शादी करने के लिए स्कूल छोड़ने के बजाय लड़कियों और लड़कों के लिए स्कूली शिक्षा पूरी करने की आवश्यकता पर जोर दें। साथ ही बिना दहेज के शादी करने के लाभ पर भी जोर दें।

13. जाति के प्रमुख लोगों और नेताओं को प्रेरित करें कि वे अपने समुदाय और जाति में बाल विवाह और दहेज देने और लेने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करायें, और इस प्रकार बाल विवाह और दहेज प्रथा का निषेध करें।

14. पंचायती राज संस्थानों (PRI) के वार्ड, गांव, ब्लॉक और जिला प्रतिनिधियों के रूप में अपने पंचायत के भीतर बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के प्रस्तावों को पारित करें।

बच्चों का संरक्षण अथवा बाल विवाह और देहज के लेन-देन में तत्कालिक हस्तक्षेप

1. पंचायत यह सुनिश्चित कर सकती है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जो सदस्य बाल विवाह को संपन्न कराने में या दहेज के लेन–देन में शामिल होंगे उन्हें कानून के तहत दंडित किया जाएगा।

2. एक सशक्त गांव स्तर समिति स्थापित करें (उदाहरण के लिए बाल संरक्षण समिति, गांव शिक्षा समिति, आदि), जिसमें समुदाय से अलग–अलग हिस्सों के लोग शामिल हों। यह समिति गांव में बाल विवाह और दहेज के लेन–देन पर निगरानी रखने के लिए कार्य करें।

3. आपने पंचायत में होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण करवायें, जिसमे वर और वधु की उम्र का सत्यापन हो, और इसकी रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को भेजे। इन सभी दस्तावेजों का बिहार विशेष नियमावली के अंतर्गत सत्यापन किया जायेगा।

4. बाल विवाह निषेध अधिनियम के धारा 16 (2) के अनुसार बाल विवाह को रोकने में बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करना पंचायती राज संस्थान के सदस्यों का कर्तव्य है। बाल विवाह निषेध अधिकारी अथवा पुलिस को आवश्यक सूचना और सहयोग प्रदान करके कानून लागू करने में सहायता कर सकते हैं।

5. यदि कुछ खास परिस्थितियों में आपकी सलाह नहीं मानी जाती है और बाल विवाह संपन्न हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में पुलिस या CMPO या किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट/न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी/जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करें। इन अधिकारियों के पास ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियां होती हैं।

6. यदि दहेज का कोई भी मामला आपकी नजर में आता है तो इसकी सूचना आप पुलिस और जिला कल्याण अधिकारी (SCST) को भी दे सकते है। इन सबकी सूची बिहार के स्टेट वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास जाती है।

7. यदि बाल विवाह या दहेज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम पंचायत के भीतर से है, तो कानूनी कार्यवाई के अलावा उसकी पंचायती राज से सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। पंचायत के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सदस्य सचिव के ऊपर दबाव डालना चाहिए।

8. ग्राम शिक्षा समिति को बाल विवाह और दहेज के मुद्दे पर जागरूक करते हुए उसके सदस्यों को निगरानी की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बना सकते हैं। इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति की मदद से सभी बच्चों (विशेषकर लड़कियों) का स्कूल में नामांकन कराने और उन्हें स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में सहायता कर सकते हैं।

9. स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुनः स्कूल में नामांकन कराकर तथा स्कूल में उनकी शिक्षा को जारी रखना सुनिश्चित करके, और सबके लिए शिक्षा की गारंटी करके बाल विवाह को रोका जा सकता है।

10. ग्राम पंचायत सदस्य सीधे हस्तक्षेप के माध्यम से बाल विवाह या दहेज के लेन–देन को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

11. बाल विवाह निषेध अधिकारी, दहेज निषेध अधिकारी या पुलिस को आवश्यक सूचना और सहयोग प्रदान करके कानून लागू करने में उनकी सहायता कर सकते हैं।

12. समुदाय में विभिन्न हितधारक समूहों के बीच रणनीतिक नेटवर्क का निर्माण करें और समुदाय में पुरुषों और महिलाओं, गांव के वृद्ध और नेता (जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों), माता–पिता, युवा, किशोर लड़कियां, बच्चों के समूहों, शिक्षकों और मजदूरों के भीतर इस मुद्दे को समर्थन देने वाले सहयोगी ढूढें।

13. बाल संरक्षण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, सामाजिक न्याय समिति आदि जैसे गांवों में विभिन्न स्थानीय निकायों के सदस्य बनें।

14. किशोर लड़कियों और लड़कों के समूहों को गठित करें और उनके समूहों को मजबूत करें। इन समूहों के माध्यम से उन्हें बाल विवाह तथा दहेज के दुष्प्रभाओं और सम्बंधित कानूनों के बारे में शिक्षित करें। स्कूलों में उनकी उपस्थिति और स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करें।

15. विवाह में विलंब करने के लिए सरकार द्वारा चलाये गए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में समुदाय के लोगों को बताएं।

16. लोगों को संबंधित विभागों के साथ जोड़ने में मदद करें ताकि परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभ ले सकें, और विवाह को कानूनी आयु तक टालने के लिए और दहेज प्रथा रोकने और खत्म करने के लिए प्रेरित हो सकें।

17. अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को साक्ष्य जुटाने में सहायता प्रदान करें।

18. दहेज पीड़ितों और बाल विवाह के शिकार हुए किशोरियों की रक्षा करने और उन्हें आवश्यक सहायता तथा आश्रय प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठायें।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग